

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बर:- 27/22

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हरिभारी..... व भूअ.नि. कुन्ना.....
.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पारडा हरिभारी तहसील चिखली
जिला डूंगरपुर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078..... में खाता संख्या 25/7... में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में
अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>पारडा हरिभारी</u>	<u>25/7</u>	<u>भुरी पत्नि देवा मीणा</u>	<u>शान्ति पत्नि देवा मीणा</u>

(श्रीकान्त व्यास)

उपखण्ड अधिकारी

चिखली जिला डूंगरपुर

दिनांक 26/04/22

कमांक:- 454-56

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शान्ति पत्नि देवा मीणा..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्रीकान्त व्यास)

उपखण्ड अधिकारी

चिखली जिला डूंगरपुर